छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा   द्वितीय सत्र   अंक-11

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024</u>

(फाल्गुन 1, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

<u>1. प्रश्नकाल</u>

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 45 तारांकित एवं 66 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

<u>2. पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>

(1) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उप धारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23,

(2) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की

अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

पटल पर रखे ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री गजेन्द्र यादव, सदस्य ने नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा बिना किसी मशीनरी स्थापना एवं एकत्रित कचरे के समुचित निष्पादन किये बिना कार्य एजेंसी को भुगतान किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन), का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य ने विकासखण्ड गुरूर के ग्राम पलारी में नियम विरूद्ध उसना राईस मिल निर्माण के लिए अनुमति दिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री बघेल लखेश्वर

(2) श्रीमती रायमुनी भगत

(3) श्री रामकुमार टोप्पो

5. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

(1) श्री रामकुमार यादव, ,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, द्वारिकाधीश यादव, धरमलाल कौशिक,

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री सुशांत शुक्ला, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री प्रबोध मिंज, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, कुंवर सिंह निषाद

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-39**, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-39 पर डॉ. चरण दास महंत, श्री बघेल लखेश्वर, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती हर्षिता स्वमी बघेल, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री पुन्नूलाल मोहले,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रम 4 (2) का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री रामकुमार यादव, गजेन्द्र यादव, धरमलाल कौशिक, द्वारिकाधीश यादव, आशाराम नेताम, कुंवर सिंह निषाद,

श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-2, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा